

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31072026-275032
SG-DL-E-31072026-275032असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/ श्रावण 5, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 129
No. 201]	DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/ SHRAVAN 5, 1948	[N. C. T. D. No. 129

भाग IV

PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग

(नीति एवं अनुसंधान शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सं. 01/2026-राज्य कर

फा. सं. डीटीटी-डी011/42/2026-नीति-टीटी-व्यापार एवं कर विभाग-276.— दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, आयुक्त एतद् द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उप-नियम (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए माह मार्च, 2026 हेतु प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि को दिनांक 21 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी।

निखिल कुमार, आयुक्त (राज्य कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

(Policy And Research Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th July, 2026

No. 01/2026 – State Tax

F. No. DTT-D011/42/2026-Policy -TT-TRADE AND TAXES DEPARTMENT-276.— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the due date for furnishing the return in **FORM GSTR-3B** for the month of March, 2026 till the twenty-first day of April, 2026, for the registered persons who are required to furnish return under sub-section (1) of section 39 read with clause (i) of sub-rule (1) of rule 61 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017.

2. This notification shall come into effect from 20th day of April, 2026.

NIKHIL KUMAR, Commissioner (State Tax)